उ०प्र० विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चंदेल, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तरालेख ।

तारांकित प्रश्न सं0	प्रश्न	उत्तर
18(क)	क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव में कुल कितने राष्ट्रीयकृत/ ग्रामीण बैंक संचालित है?	महानिदेशक, संस्थागत वित्त द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जून, 2025 तक जनपद-उन्नाव में राष्ट्रीयकृत बैंक की 129 शाखायें एवं ग्रामीण बैंक की 60 शाखायें, कुल मिलाकर राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंक 189 शाखायें कार्यरत हैं। उक्त के अतिरिक्त सहकारी बैंक, पेमेण्ट बैंक एवं स्माल फाइनेन्स बैंक आदि की शाखा कार्यरत हैं। यदि इसे भी सम्मिलित कर लिया जाय तो जनपद-उन्नाव में कुल मिलाकर बैंकों की 249 शाखाएं कार्यरत हैं।
(ख)	इन बैंकों की सुरक्षा हेतु गाइडलाइन/नियमावली है तो उसका विवरण क्या है?	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ०प्र० एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण के अनुसार बैंकों में सुरक्षा नियामक दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन का विवरण निम्नवत है:- (1) भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश संख्या-DCM(CC)No.G-11/3445/03.39.01/2015-16, दिनांक 13 अप्रैल,2016 द्वारा समस्त बैंकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि बैंकों में जिस स्थान पर करेंसी चेस्ट रखा गया हो उक्त स्थल का फायर आडिट संबंधित जिले के अग्निशमन विभाग से वर्ष में दो बार कराना सुनिश्चित करें । (2) भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश संख्या-DCM(Plg)No.2968/10.25.007/2018-19, दिनांक 14 जून,2019 द्वारा समस्त बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 की मौद्रिक नीति के विवरण के प्रस्तर-15 के अनुसार बैंक करेंसी परिचालन के संबंध में समिति का गठन करते हुए सुरक्षा संबंधी उपायों की समीक्षा करेंगे। संबंधित बैंकों की आन्तरिक गतिविधियाँ नियंत्रित किये जाने हेतु आर0बी0आई0 गाइड लाइन के अनुसार

		संबंधित बैंकों के कैंद्रीय, अंचल एवं क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है जिसका उद्देश्य लोगों, परिसंपत्तियों और डेटा की सुरक्षा करना है। इन दिशा-निर्देशों को मोटे तौर पर भौतिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें से भौतिक सुरक्षा उपाय निम्नानुसार हैः- • सभी प्रमुख स्थानों (प्रवेश द्वार, टेलर काउंटर, एटीएम, वॉल्ट) पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे होते हैं। • वॉल्ट और स्ट्रॉग रूम भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं और कार्य समय के बाद बंद किए जाते हैं। • अग्नि एवं सुरक्षा प्रणाली, बायोमेट्रिक एक्सेस और अग्निशमन उपकरण तिमाही रूप से जांचे जाएं। • एटीएम में 24X7 सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्डिंग 90 दिनों तक संग्रहित की जाए। • कैंद्रीय, अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालय में सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा विभाग कार्यरत होते हैं।
(ग)	क्या उक्त गाइडलाइन/ नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे?	संबंधित बैंकों के केन्द्रीय, अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा गाइड लाइन एवं सुरक्षा नियामक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। इस हेतु संबंधित बैंकों के कैंद्रीय, अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा किये जाने के उपरान्त यथानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाती है।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री